



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1756/2026

द्वारिका प्रसाद .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य .....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अभिषेक त्रिपाठी, आकाश सोनकर, अखिलेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के आलोक में, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील-सोरांव, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत वाद संख्या 13333/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202402030313333) को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:- "(7). इस धारा के तहत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर समाप्त की जाएगी।"
5. आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वाद का निर्णय करने का निर्देश देते हुए वर्तमान रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"